WESTERN RAILWAY

P.S.No.38/2011

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. E/SBF/1075/0 Vol. IV

Date: 22.02.2011
814

To.
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn, 'W' Zone, Mumbai
C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Staff Benefit Fund – Continuance of benefit to staff receiving benefit of the MACP Scheme.

Ref: This office letter of even no. dt.11.05.2010 (P.S.No.67/2010)

==========

A copy of Joint Director Estt. (Wel) Railway Board's letter No. E(W) 2010/FU-1/4 dt.15.2.2011 [RBE No.22/2011] addressed to All General Managers (Personnel), All Zonal Railways and Production Unit etc. is reproduced below for information, guidance and necessary action.

Encl: As above.

8/4/11
(S. B Marshale)
For General Manager(E)

Copy of Railway Board's letter No. E(W) 2010/FU-1/4 dt.15.2.2011 [RBE No.22/2011] addressed to the General Manager, All Indian Railways and Others.

Sub: Staff Benefit Fund – Continuance of benefit to staff receiving benefit of the MACP Scheme.

Ref: This office letter of even no. dt.26.04.2010

Some of the Zonal Railways have sought clarification as to whether the staff in Grade Pay Rs.1,800/- and below and eligible for benefits of scholarship for higher education and relief of distress / sickness etc. under items I (i) (a) (2), I (i) (a) (3) and I (i) (d) (2) of this office letter dated 26.04.2010 ibid are entitled for these benefits even after being placed in higher Grade Pay under the MACP Scheme.

2. The matter has been considered and it is clarified that since even after placement in higher Grade Pay under the MACP Scheme the employee continues to retain the classification of his/her basic post, such staff continue to be eligible for these benefits under SBF. The grant of these benefits shall, however, be subject to the staff in the lower Grade Pay being given precedence.

3. This issue with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge receipt.

****

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]/1093/5 भाग.IV [illegible]

सभी सं.के.अ./वृ.का.अ. और यूनिट प्रभारी [illegible] .

प्रति : [illegible] [illegible]..मुंबई [illegible].

प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया अ.जा./अ.ज.जा.रेल कर्म.. एसो. 'वेस्ट' झोन.मुंबई .

प्रति: महामंत्री= ऑल इंडिया ओ.बी.सी.रेल कर्मचारी.एसोसिएशन , मुंबई.

विषय : कर्मचारी हित निधी - आशोधित सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजनाका लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारीयो को लाभ रखना।

संदर्भ : इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 11.05.2010 (पी एस सं.67/2010)

संयुक्त निदेशक स्थापना (वेल) रेलवे बोर्ड का सभी रेलवे के महाप्रबंधकों को तथा प्रोडक्शन युनिट को संबोधित पत्र सं.E(Wel)2010/FU-1/4 दिनांक 15.02.2011 (आर बी ई सं.22/2011) जानकारी, सुचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतू निचे उधृत किया है ।

संलग्न : यथोक्त

(एस बी मशाले) 8/4/11

कृते महाप्रबंधक (स्था)

सभी भारतीय रेलों के महाप्रबंधकों को तथा अन्यों को संबोधित रेलवे बोर्ड के पत्र के पत्र सं. E(Wel)2010/FU-1/4 दिनांक 15.02.2011 (आर बी ई सं.22/2011) की प्रतिलिपी ।

विषय : कर्मचारी हित निधी - आशोधित सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजनाका लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारीयों को लाभ रखना।

संदर्भ : इस कार्यालय का दिनांक 26.04.2010 का समसंख्यक पत्र ।

कुछ क्षेत्रीय रेलों ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या 1,800/- रू. तथा इससे कम ग्रेड पे वाले कर्मचारी आशोधित सुनिश्चित कारियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उच्चतर ग्रेड पे में रखे जाने पर भी इस कार्यालय के दिनांक 26.04.2010 के पत्र की मद I (1) (क)(2), I(1)(क) (3) तथा I (1) (घ) (2) के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति तथा विपत्ति / बीमारी आदि में राहत के लाभों के लिए पात्र हैं ।

2. इस मामले पर विचार किया गया है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि चूँकि आशोधित सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उच्चतर ग्रेड पे में रखे जाने के बाद भी कर्मचारी अपने मूल पद के वर्गीकरण में ही रहता है, इसलिए ऐसे कर्मचारी कर्मचारी हित निधि के अंतर्गत इस लाभों के लिए पात्र बने रहेंगे, बहरहाल, इन लाभों को प्रदान करने में निम्नतर ग्रेड पे वाले कर्मचारियों को वरीयता दी जाएगी ।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

4. कृपया पावती दें ।